



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-121

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 178247 दिनांक 14/06/2024 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	NAJRINA S/o salmuddin	श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री श्रवण सेनी	24	206.66 SQ. YARD	Cooperative	GANESH NAGAR VISTAR (MITRA GNSS) Sector/Block-	Name Transfer	श्रीमती नजरीना पत्नी श्री सलीमुद्दीन द्वारा अनुमोदित योजना "गणेश नगर विस्तार" के भूखण्ड संख्या -24 कुल क्षेत्रफल 206.66 वर्ग गज भूमि को क्रय कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। जविप्रा द्वारा दिनांक 13.01.2008 को श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री श्रवण सेनी को लीज डीड जारी की गयी थी। अपलोड हकत्याग के अनुसार श्रीमती भूरी देवी की मृत्यु होना अंकित है। श्रीमती भूरी देवी की मृत्यु पश्चात उनके पति श्री श्रवण सेनी द्वारा जरिये पंजीकृत हकत्याग दिनांक 20.06.23 के उक्त भूखण्ड अपने एकमात्र पुत्र श्री दिनेश सेनी को हस्तान्तरण कर दिया। श्री दिनेश सेनी द्वारा दिनांक 02.02.2024 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के भूखण्ड आवेदक को विक्रय किया गया है।
---	-----------------------------	---	----	--------------------	-------------	---	------------------	---



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. NAJRINA S/o salmuddin को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |